


6
24

पत्रावली पेश हुई वकील पार्सी उपस्थित, विपक्षीयों
के सम्मन बाद तामिल होरु (घात हुए जिले शा
घर किये गये। विपक्षीयों को कितनी बार कक-रु
कर आवापे दिखायी जाने के बाद भी अनुपस्थित,
इनके विरुद्ध एक तरफा कार्रवाई किये जाने का आदेश
दिया जाता है वकील पार्सी का प्र-पत्र स्वीकार दिया
जाकर मिठिय प्रपत्र से लिखा जाकर शा पर किया
शाय। पत्रावली फेसल सुमार होरु नम्बर लेकर है।


उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़

न्यायाधीश- मजिस्ट्रेट, आर.एस.

प्रकरण संख्या - 205/24 प्रा.पत्र

श्री दुर्गा सिंह 510 की आश्रयस्थित पुरातन निवासी-मेजा तहसील-माण्डल

बनाम

श्री करतुर 56 श्री गार्गू बैरा निवासी-माण्डल तहसील-माण्डल [वंगरा]
(सुप्रासक्ति 51-पत्र (1/24))

-निवासी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.स.अधि. 1956

दिनांक- 6.6.24


आदेशः

प्राथी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.स.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर मिलान किया कि
प्राथी मेजा पदवार हल्का मेजा तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की
आराजी नं० 2735/220 कुल कित्ता 0.1 रकबा 0.3794 हेक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि
विपक्षीयता के मध्य आराजी मुतदायिया के सीमा चिन्ह नहीं होने से आधे दिन सीमा सर्वेक्षण विवाद उत्पन्न होता
जाता है। जिसमें प्राथी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जायें।


प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 29-5-24 को पंजीकृत किया जाकर प्रकरण को
तत्कालीनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्राथी एवं कब्जे काशत काशत की होने से पत्थरगढी कसाने का
अधिकारी है। वैरो भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए
न्यायिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर स्वीकार योग्य है।

आदेशः

प्राथी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.स.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर प्राथी मेजा पदवार
का मेजा तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं० 2735/220
कुल कित्ता 0.1 रकबा 0.3794 हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुष्टी जानकरी किये
गये हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-आभिलेख निरीक्षण मेजा
500 रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजूदगी में मौके पर कब्जा
यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जायें। फसल खड़ी होने पर
पत्थरगढी नहीं की जायें।


उपखण्ड अधिकारी
मांडल भीलवाड़

लिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्राथी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की
जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।


उपखण्ड अधिकारी
मांडल भीलवाड़